न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 89/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि एवं जिला रसद अधि.स0मा0
पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार
GCMS No-2022/16

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.9.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. बाडमेर जिले के उन 27 राशनकार्ड के उपभौक्ताओं की सूची की प्रमाणित नकल निर्धारित समय सीमा मे आवेदक को उपलब्ध करवावे जिनका ऑनलाईन फर्जी ट्रान्जेक्शन करने का आरोप पूजा मीना प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय सवाईमाधोपुर ने राजेश कुमार शर्मा निलंबित उचित मूल्य दुकानदार खण्डार के उपर लगाया था उक्त 27 राशनकार्ड उपभौक्ताओं का पूर्ण पता सहित प्रमाणित सूची दी जावे। साथ ही राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज हुई शिकायत के संबंध में श्रीमति पूजा मीना द्वारा की गयी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2022/07 दिनांक 26.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा बाडमेर जिले के 24 राशनकार्डो मे फर्जी ट्रान्जेक्शन कर राशन सामग्री का गबन करने के कारण उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 5.8.2020 को निरस्त किया गया है जिसकी अपील न्यायालय मे जैरकार है। उक्त अनुज्ञा पत्र को बहाल करवाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अनावश्यक/विस्तृत एवं अपूर्ण विवरण की सूचना मांगकर कार्यालय के कार्मिको/अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त संबंध मे अपीलान्ट को पूर्व मे सूचना दी चुकी है तथा कई बार लिखित एवं मौखिक अवगत कराया जा चुका है कि किसी व्यक्ति विशेष की सूचना के लिए कार्यालय मे उपस्थित होकर वांछित सूचना का अवलोकन कर चिन्हित करने बाबत लिखा जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना (27 उपभौक्ताओ की सूची/सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जॉच रिपोर्ट की प्रति) अपीलान्ट को [illegible] जानी चाहिए थी किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अभी तक उपलब्ध नही करवायी है। अतः लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] वांछित सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से [illegible] एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:35:22 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर